

पत्रांक-1/प्रा0आ0 (COVID-19)-09/2020/...../आ0प्र0,

पटना-23 दिनांक-

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषय: राज्य में कोरोना वायरस (COVID-19) के बढ़ते संक्रमण के आलोक में राज्य के शहरी इलाकों में रहने वाले निर्धन, निराश्रित तथा अन्य अघातयोग्य वर्गों के लोगों के लिये आवासन एवं Community Kitchen की व्यवस्था करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि COVID-19 के संक्रमण के फलस्वरूप lockdown के कारण राज्य के सभी जिला मुख्यालय में ऐसे व्यक्ति/ मजदुर/ निर्धन/ निराश्रित एवं अन्य अघातयोग्य वर्गों को भोजन एवं आवासन की समस्या संभावित है। इसके लिये आवश्यक है कि सभी जिला मुख्यालयों में ऐसे बड़े स्कूलों/ कॉलेजों इत्यादि को आवश्यकतानुसार चयनित किया जाय, जिसमें social distancing के अनुरूप उनके आवासन की व्यवस्था की जा सके। इन केन्द्रों को आपदा राहत केन्द्र के रूप में संचालित किया जाय तथा वहाँ रह रहे लोगों के भोजन के लिये Community Kitchen का संचालन किया जाय। इसके लिये विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत पत्र के अनुरूप कार्रवाई की जाय।

आपदा राहत केन्द्र में बिजली, सफाई, शौचालय इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था रहे तथा भोजन कराने के दौरान social distancing का कड़ाई से पालन किया जाय। आपदा राहत केन्द्र के संचालन के लिये सुरक्षा के प्रबंध हेतु पुलिस एवं चिकित्सा हेतु चिकित्सा दल की भी प्रतिनियुक्ति की जाय। इसमें होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति मुख्यमंत्री राहत कोष से की जाएगी।

विश्वासभाजन

ह0/-

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1/प्रा0आ0 (COVID-19)-09/2020/...../आ0प्र0 पटना-23, दिनांक-

प्रतिलिपि:- मा0 मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1/प्रा0आ0 (COVID-19)-09/2020/...../आ0प्र0

पटना-23 दिनांक- 24/03/2020

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिदेशक, बिहार/ सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/
प्रधान सचिव/ सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव